न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

नामान्तरकरण अपील संख्या :– 01/2020

अपीलान्टगण

श्रीमती अरत कंवर पत्नी सरताजसिंह जाति राजपूत निवासी अजीत तहसील समदडी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. श्रीमती कंचनकंवर पत्नी श्री सुमेरदान जाति चारण निवासी भाण्डीयावास तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
2. सरताजसिंह पुत्र फतहसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अजीत तहसील समदडी जिला बाडमेर
3. सरपंच ग्राम पंचायत अजीत
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर

प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 876 दिनांक 12.08.2013 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण संख्या 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 26/03/2021

प्रस्तुत अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 09.07.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से खसरा संख्या 384/270 का रकबा 140 बीघा जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1 हिस्सा रकवा 28 बीघा सरहद मौजा अजीत तहसील समदडी में स्थित भूमि मे से 3 बीघा भूमि जरिए प्रतिफल 3,21,000/– रूपये में रेस्पोडेंट संख्या 2 से, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा दिनांक 09.07.2013 को जरिए पंजीबद्व विक्रय विलेख 3 बीघा भूमि क्रय किया गया उक्त बेचाननामा पंजीयन होने के बाद इसकी रूह में प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 876 रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा [illegible] 12.08.2013 को स्वीकृत किया गया तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार [illegible] आसजी का सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड में यानि जमाबंदी में प्रविष्टी की गई उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 876 जो दिनांक 12.08.2013 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा जो स्वीकृत किया गया है, पूर्णतः अवैध,अनुचित विधि–विरूद्व होने से कानूनी रूप से काबिल अपास्त है। इस बावत विक्रय–विलेख दिनांक 09.7.2013 का पंजीयन होना बताया गया है। उस

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:15 IST
Reason: SelfAttested

तारीख को, रेस्पोडेंट संख्या 2 सरताजसिंह मानसिक रूप से यानि (मानसिक) रोग से ग्रसित था, तथा उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, तथा वे अच्छी तरह से न तो उक्त लिखित में समझ सके और न ही वो दिमागी रूप से समझते थे। यानि उक्त विक्रय–विलेख बेचानकर्ता सरताजसिंह की असहमति व अस्वीकृति से पूर्णतया लिप्त है, तथा मानसिक बीमारी के कारण उक्त विक्रय–विलेख पूर्णतया धोखधड़ी से रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा उसके पक्ष में लिखवाया एवं पंजीयन करवाया गया, न तो ऐसा कोई प्रतिफल दिया गया, न ही सरताजसिंह के स्वस्थचित्त हालात में तकमील एवं तस्दीक ही किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय नामान्तरकरण के निर्णय के क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को प्रत्यायोजित किया है, न की सरपंच अथवा उपसरपंच अथवा किसी पंच को, इसलिए इसका निर्णय ग्राम पंचायत की वैध रूप से आमंत्रित सभा, बैठक जिसका कोरम पूर्ण होने पर ही स्वीकृत आदेश पारित कर सकती है। उक्त निर्णय की रोशनी में उक्त अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 876/दिनांक 12.08.2013 काबिल अपास्त–निरस्त के है। क्योंकि दिनांक 12.08.2013 को ग्राम पंचायत अजीत की ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया था, तथा न ही पंचायत का कोरम पूर्ण था। जो कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र क्रमांक एसपी 1 दिनांक 02.03.2020 से भी पूर्ण सावित हो रहा है। जिसमें स्पष्ट अंकित है कि ग्राम सभा अजीत कि बैठक व ग्राम सभा दिनांक 12.08.2013 को नहीं हुई थी। जो ग्राम सभा बैठक रजिस्टर 2013 को देखने से स्पष्ट है।

प्रश्नगत नामान्तरकरण से संबंधित आराजी सम्पूर्ण भाग पर अपीलान्ट का ही कब्जा है। आज दिन तक रेस्पोडेंट संख्या 1 का कभी कब्जा नहीं रहा है। तत्कालीन वर्ष–2013 में ग्राम पंचायत अजीत की सरपंच सरोज कंवर जो कि रेस्पोडेंट 1 के संबंधी थे, तथा उन्होंने दिनांक 12.08.2013 को बिना कोई ग्राम पंचायत की बैठक आहूत किए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 876 दिनांक 12.08.2013 विधि–विरूद्ध अपने मनमाने तौर पर अवैध एवं अशुद्ध रूप से स्वीकृत किया है जो कानूनी रूप से काबिल अपास्त–निरस्त है जो शुरू से ही शून्य है तथा ऐसे नामान्तरकरण जो शुरू से ही अवैध, अनुचित व विधि–विरूद्ध है उसमें म्याद के बिन्दु आडा नहीं आता है। उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी हाल ही में अपिलान्ट हो हुई तो अपीलान्ट ने हल्का पटवारी अजीत से उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण के प्रमाणित प्रति दिनांक 06.02.2020 को ली व उसके बाद कोरोना वैश्विक बीमारी के कारण लॉकडाउन होने से व तत्काल अपील पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

नहीं कर पाई व जैसे ही लॉकडाउन खुला उक्त अपील श्री न्यायालय में पेश है। रफा–ए–हुज्जत धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी संलग्न पेश है। अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेंट के जरिए सम्मन तलब किया रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता कैलाश पुरी द्वारा वकालतनामा पेश किया अन्य रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 22.01.2021 के एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 10.2.2021 को लिखित कथन इस आशय का पेश किया कि ना.मा. संख्या 876 के विरूद्ध अपील पेश किये जो म्यादगार है। क्योंकि उक्त अपील 7 वर्ष की अवधि के बाद पेश की है, अपीलान्ट ने परिसीमा के प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं बताये हैं कि उक्त देरी को क्यों कण्डोन किया जाये, खसरा सं. 384/276 के रकबे में से 3 बीघा भूमि सप्रतिफल रेस्पोडेंन्ट ने खरीद ली उस वक्त अस्तकवर साथ में थी, रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत पेश किये

दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया। वकील अपीलार्थी ने अपील मे दर्ज तथ्यों को दोहराया व कथन किया की अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर सरहद मौजा अजीत में अवस्थित खसरा संख्या 569/270 रकबा 28–13 बीघा के सम्बन्ध में पारित ना.मा.संख्या 876 दिनांक 12.08.2013 ग्राम पंचायत अजीत द्वारा दिनांक 12.05.2013 को अपास्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलार्थी की अपील को प्रथम तो म्याद बाहर होने के कारण द्वितीय अपीलार्थी द्वारा जिस नामान्तरकरण को वर्तमान अपील मे प्रश्नगत किया है वो म्यूटेशन पंजीकृत विक्रेय विलेख के आधार पर पारित किया गया है इसलिए अपील चलने योग्य नहीं है। तृतीय उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में बंटवाडा का दावा दिनांक 06.03.14 को पेश हो चुका है ।

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया कि ग्राम पंचायत अजीत ने अपने पत्र एसपी 1 दिनांक 02.03.2020 जिसमें उल्लेख किया कि दिनांक 12.08.2013 को ग्राम पंचायत अजीत में कोई ग्राम सभा आयोजित नहीं हुई जिस पर न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक वाचक /2021/5824 दिनांक 27.02.2021 को जारी कर उक्त दिनांक को ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की ग्रामसभा/आमसभा आयोजित हुई या नहीं के सम्बन्ध में बैठक रजिस्टर की छायाप्रति अविलम्ब उपलब्ध करवाने का लिखा उक्त पत्र ग्राम पंचायत को मिलने के उपरान्त भी कोई प्रत्युत्तर या रेकर्ड प्रेषित नहीं किया गया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:15 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

वर्तमान प्रकरण में अपील न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज जिसके आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण पारित किया गया है के दस्तावेज वैधता या विधि मूल्यता को नहीं देखना है प्रश्नगत म्यूटेशन पारित ग्राम पंचायत न किया है या नही उक्त विन्दू को ही देखना है क्योकि म्यूटेशन पारित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को सरंपच या उप सरपंच को नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपना अधिमत 1984 RRD Page No. 54 Sarkar vs Govindram में निम्न प्रकार से पारित किया Mutation-Attested by Upsarpanch-Held, power of attesting mutation, delegated to G.P. having jurisdiction-G.P. does not mean a Sarpanch or Upsarpanch or any Panch but a validly called meeting of G.P., having quoram-To hold otherwise would mean that each and every Panch, Upsarpanch or Sarpanch of G.P. can at his own, without calling meeting and without quoram can attest any mutation any time anywhere-Mutation, cancelled. इसके अलावा आरआरडी 2005 के पेज संख्या 97 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय गे भी यह अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि सरपंच द्वारा म्यूटेशन पारित नहीं किया जा सकता है बल्कि ग्राम पंचायत को आम व साधारण बैठक में सर्वसहमति से पारित करना आज्ञापक रूप से आवश्यक है जबकि वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत म्यूटेशन संख्या 876 दिनांक 12.08.2013 को ग्राम पंचायत की बैठक ही नहीं हुई थी इस सम्बन्ध में सरपंच अजीत द्वारापत्र भी जारी किया उक्त पत्र को नही मानने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत म्यूटेशन बिना कोरम पूरा हुये मात्र सरपंच द्वारा पारित किया हुआ होना प्रतीत हो रहा है। क्योकि प्रश्नगत म्यूटेशन पर भी सर्वसहमति से या संकल्प/प्रस्ताव के जरिये पारित किया गया है का कोई अंकन नहीं है रेस्पोडेन्ट की ओर से पेश न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण मे [illegible] न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये है उसमें वर्णित [illegible] है क्योकि न्यायिक दृष्टांत में कब्जा नहीं होना [illegible] प्रकरण मे कब्जा है या नहीं उक्त तथ्य प्रश्नगत नहीं बल्कि प्रश्नगत म्यूटेशन बिना कोरम पारित हुआ या नहीं यह ही विन्दु है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

उपरोक्त समस्त विवेचन से न्यायालय यह पता है कि प्रश्नगत म्यूटेशन ग्राम पंचायत अजीत ने कोरम या साधारण सभा मे सर्व सहमति से पारित नहीं किया है बल्कि सरपंच ने एकल तौर से पारित किया है जिसे कायम रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि प्रकरण गुणावगुणों पर सुदृढ मामला है इसलिए धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद सुमार की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टगण स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम अजीत के नामान्तरकरण संख्या 876/12.08.2013 को निरस्त कर भूमि धारक तहसीलदार समदडी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित कराते हुए पारित करे।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 26/03/2021 को सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:15 IST
Reason: SelfAttested